न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

कसनाराम पुत्र श्री हिराराम घांची, विक्रेता एवं एफ.बी.ओ., मैसर्स गुरु कृपा डेयरी एण्ड जनरल स्टोर, ग्राम पोस्ट– नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही
स्थाई पताः कम्पा अराई, नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही

F.S.S.Act Case No.04/2026

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

प्रतिवादी कसनाराम

–: निर्णय :– **दिनांक 24 फरवरी, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अभियुक्त के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 30–7–2025 को मैसर्स गुरु कृपा डेयरी एण्ड जनरल स्टोर, ग्राम पोस्ट– नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी कसनाराम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) का नमूना संख्या S-2762 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1212/Act/2025/1212 दिनांक 13–8–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 24–2–2026 को प्रतिवादी कसनाराम, इस न्यायालय में उपस्थित हुआ। नियत तिथि 24–2–2026 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी ने जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया जिसने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है व उसका व्यापार छोटा है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 30–7–2025 को समय 3–05 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स गुरुकृपा डेयरी एण्ड जनरल स्टोर, ग्राम पोस्ट नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी कसनाराम पुत्र श्री हीराराम घांची, निवासी– कम्पा अराई, नांदिया, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स गुरुकृपा डेयरी एण्ड जनरल स्टोर, ग्राम पोस्ट– नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स गुरुकृपा डेयरी एण्ड जनरल स्टोर की दुकान के अन्दर डीप फ्रीज में लगभग 5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर (लुज), आमजन को बिक्री

....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

हेतु रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता कसनाराम को गवाह श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मैसर्स गुरुकृपा डेयरी एण्ड जनरल स्टोर की दुकान के अन्दर एक डीप फ्रीज में आमजन को विक्रय करने हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) लगभग 5 किलोग्राम में से 01 (एक) किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 400/– (रुपये चार सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता कसनाराम को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा एक किलोग्राम पनीर को प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना बोतल में फार्मेलीन की 20–20 बूंदे डालकर प्रत्येक नमूना बोतल को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2762, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता कसनाराम व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पनीर के चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा पनीर की चारों नमूना बोतलों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता कसनाराम तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता कसनाराम व उक्त गवाह तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 01–8–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 30–7–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स गुरुकृपा डेयरी एण्ड जनरल स्टोर, ग्राम पोस्ट– नांदिया, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता कसनाराम से खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2762 की प्राप्त

......पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1212/Act/2025/1212 दिनांक 13–8–2025 में खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी कसनाराम पुत्र श्री हिराराम घांची, विक्रेता एवं एफ.बी.ओ., मैसर्स गुरुकृपा डेयरी एण्ड जनरल स्टोर, ग्राम पोस्ट– नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (नमूना संख्या S-2762) के विक्रय हेतु प्रतिवादी कसनाराम पुत्र श्री हिराराम घांची, विक्रेता एवं एफ.बी.ओ., मैसर्स गुरुकृपा डेयरी एण्ड जनरल स्टोर, ग्राम पोस्ट– नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, स्थाई पताः कम्पा अराई, नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी कसनाराम पुत्र श्री हिराराम घांची, विक्रेता एवं एफ.बी.ओ., मैसर्स गुरुकृपा डेयरी एण्ड जनरल स्टोर, ग्राम पोस्ट– नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 24 फरवरी, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही (राज०)